न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/3605/2004/नागौर

1— राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नागौर जिला नागौर।

—अपीलांट

बनाम

1— सत्यनारायण पुत्र पूना जाति माली निवासी नागौर तहसील व जिला नागौर।

2— हरिकिशन पुत्र गिरधारीलाल जाति माली निवासी नागौर तहसील व जिला नागौर।

—रेस्पोडेंटस

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः—

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0 राजकीय अधिवक्ता।

श्री जे0 के0 पंत, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांकः— 14.10.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 21/02 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 सत्यनारायण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 92 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष मौजा नागौर के साबिक खसरा संख्या 212 में 15 बीघा भूमि के बाबत् पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर वादी

का उसके पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर कदीमी ढाणी बनी हुई है तथा साबिक खसरा संख्या 212 के हाल खसरा संख्या 447 हो गया है। खसरा संख्या 211 हाल खसरा संख्या 451 में जाने की जानकारी है किन्तु बंदोबस्त् रिकार्ड में खसरा संख्या 451 का साबिक खसरा संख्या 211 मिन एवं 447 का साबिक खसरा संख्या 211 मिन से बनना बताया है जो गलत है। वादी उक्त भूमि पर मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व से काबिज चला आ रहा है। वादी ने यह भी निवेदन किया कि नाथू माली के यहां वादी संवत् 2003 से 2007 में वादी की तरफ से ही खेत देखते थे एवं हर तरह का कार्य करते थे। अंत मे वादी ने खसरा संख्या 212 हाल खसरा संख्या 447 का भाग है, का दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उक्त आशय का वाद पेश होने पर विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2001 द्वारा वादी का दावा खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष पेश की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2004 द्वारा स्वीकार किया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वर्तमान अपीलांट द्वारा यह अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि साबिक खसरा संख्या 212 हाल खसरा संख्या 447 राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आगोर दर्ज है, जो कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, इस कारण धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत ऐसी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है, इस कारण अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 का दावा निरस्त करने में कोई कानूनी त्रुटि कारित नहीं की थी, किन्तु अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु को नजरअंदाज कर रेस्पो0 का दावा डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। वादी/रेस्पो0 वादपत्र में कथन लेकर गया कि साबिक खसरा संख्या 212 हाल खसरा संख्या 447 बने है, किन्तु

उसके द्वारा अपने इस कथन की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे सिद्ध हो कि साबिक खसरा संख्या 212 के हाल खसरा संख्या 447 बने हो। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0/वादी अपने आपको आराजी मुतनाजा का कृषक साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, उसके द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे साबित हो कि राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व तक बतौर कृषक आराजी मुतनाजा पर काबिज चले आ रहे हो, इस कारण जब तक वह अपनी हैसियत टिनेन्ट की साबित नहीं कर देता तब तक उसके हक में कोई आदेश प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि खसरा गिरदावरी संवत् 2004 से 2007 में खसरा संख्या 212 पर अप्रार्थी/रेस्पो0 की काश्त दर्ज नहीं होकर नाथू माली की काश्त दर्ज थी तथा इस कारण उक्त काश्त रेस्पो0 की नहीं मानी जा सकती है तथा खसरा गिरदावरी कोई रिकार्ड ऑफ राइट की श्रेणी में नहीं आती है, इस कारण उसके आधार पर वादी का दावा डिक्री नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.04.2004 को निरस्त किया जावें तथा न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी), नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2001 को यथावत् रखा जावें तथा वादी/रेस्पो0 का दावा निरस्त किया जावें।

5— अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अपील के साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा दिनांक 15.04.2004 को निर्णय प्रदान करने के पश्चात् जिला कलक्टर, नागौर द्वारा दिनांक 03.08.2004 को तहसीलदार, नागौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध मण्डल न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जो तहसीलदार को दिनांक 04.08.2004 को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 24.07.2004 को अपीलीय न्यायालय एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया, तत्पश्चात् नकलें प्राप्त होने पर आवश्यक कागजात एकत्रित कर प्रभारी अधिकारी द्वारा राजकीय अधिवक्ता से संपर्क कर बिना किसी देरी के यह

अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश कर दी गई है। अतः अपील पेश करने में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जावें।

6— विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत् है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन आगौर नहीं है एवं ना ही यह भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि है । विवादित भूमि पर वादी/रेस्पो0 का उसके पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा विवादित भूमि पर कदीमी ढाणी बनी हुई है । हाल खसरा नंबर 447 रकबा 15 बीघा वादी का खेत है जिस पर वादी का संवत् 2000 से पहले से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि के साबिक खसरा नंबर 212 है । पटवारी हल्का ने विवादित भूमि प्रतिवादी जो कि उसका हाली के नाम गिरदावरी अंकित कर दी वह गलत इंद्राज है । वादी ने दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्यों से अपना वाद साबित किया था । पत्रावली पर वाद संख्या 12/82 भींवराज बनाम मांगीलाल सहायक कलेक्टर, नागौर एवं उसके निर्णय तारीख दिनांक 15.05.1983 की प्रति उपलब्ध थी जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि साबिक खसरा नंबर 447 मेंखातेदारी घोषित की हुई है जिसे नहीं मानने का कोई कारण नहीं था । विचारण न्यायालय ने उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर वादी का वाद खारिज किया था किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों का भली—भांति परीक्षण उपरांत वादी का वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

7— अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नागौर के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1/वादी सत्यनारायण ने वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 1 एवं वर्तमान अपीलांट/प्रतिवादी

संख्या 2 राज0सरकार के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92–ए राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत मौजा नागौर के साबिक खसरा नंबर 212 किस्म बारानी सोयम की 15 बीघा भूमि बाबत् पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि उसके पूर्वजों के समय से यानि विक्रम संवत् 2000 के पहले से कब्जा काश्त में चली आ रही है । उपरोक्त भूमि पर वादी की कदीमी ढाणी बनी हुई है तथा मवेशियों को बांधने की जगह व ठांण तथा पानी का टांका आदि बने हुए है । उक्त साबिक खसरा नंबर 212 हाल खसरा नंबर 447 में गया है । इसी प्रकार खसरा नंबर 211 हाल खसरा नंबर 451 में गया है किन्तु बंदोबस्त रिकॉर्ड में खसरा नंबर 451 में साबिक खसरा नंबर 211 का मिन एवं खसरा नंबर 447 में भी साबिक खसरा नंबर 211 से बनना बताया गया है जो गलत है जबकि वास्तव में मौके की दृष्टि से हाल खसरा ंनबर 447 साबिक खसरा नंबर 212 से बना है । किन्तु उक्त भूमि का लगान वादी के हक में जारी नहीं हुआ है । अतः वाद स्वीकार किया जाकर मौजा नागौर के साबिक खसरा नंबर 212 का रकबा 15 बीघा जो हाल खसरा नंबर 447 का भाग है, को वादी का कदीमी कब्जा काश्त मानते हुए वादी को इसका खातेदार घोषित किया जावे । उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील गैर हाजिर रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई । तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2001 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1/वादी का वाद इस आधार पर खारिज किया कि प्रदर्श–3 नकल खतौनी में खसरा नंबर 447 गै0मु0 अंगोर दर्ज है । इसी प्रकार वादी के गवाह गंगाधर जो नागौर में पटवारी पद पर व भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर रहा था, ने भी अपने बयानों में यह बताया कि नागौर के साबिक खसरा नंबर 212 जो मौके के लिहाज से हाल खसरा ंनबर 447 में गया है, गवाह के इस कथन को वादी राजस्व रिकार्ड से साबित करने में असफल रहा है कि साबिक खसरा नंबर 212 हाल खसरा नंबर 447 में गया हो । विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 447 गै0मु0अंगोर दर्ज है जिस पर खातेदारी दिया जाना राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् था इसके बावजूद प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने केवल मात्र वादी के गवाहों के बयानों के

आधार पर वादी का वाद डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि खसरा नंबर 447 साबिक खसरा नंबर 212 से बना हो । अपीलीय न्यायालय ने केवल मात्र वादी के गहावों के बयानों तथा पुराने कब्जे काश्त के आधार पर वाद डिक्री किया है जो विधिविरूद्ध निर्णय है । विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भली–भांति स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 447 की किस्म गै0मु0 अंगोर दर्ज है जो राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है, तथा ऐसी भूमियों की विधिनुसार खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं की जा सकती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2004 पारित किया है जिसे विधिसम्मत् निर्णय नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2004 निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9– परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2004 निरस्त किया जाता है एवं सहायक कलेक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2001 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य